न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2019 अपील

1. प्रतीक्षा (बाबू) पुत्री मनराज सिंह मीणा निवासी हनुमान नगर तहसील जहाजपुर जरिय संरक्षक वादमित्र माता श्रीमती शुभ्रा पत्नी मनराज सिंह मीणा निवासी हनुमान नगर तहसील जहाजपुर
2. तनिष्का (छोटा) पुत्री मनराज सिंह मीणा निवासी हनुमान नगर तहसील जहाजपुर जरिय संरक्षक वादमित्र माता श्रीमती शुभ्रा पत्नी मनराज सिंह मीणा निवासी हनुमान नगर तहसील जहाजपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. मनराज सिंह पुत्र रामकुवांर सिंह मीणा निवासी महादेव मंदिर के पास, शिव कॉलोनी, कुचलवाडा रोड, हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर
2. मंजूबाला पुत्री रामकुंवार सिंह मीणा निवासी दाता ढाणी तहसील देवली जिला टोंक
3. अंजूबाला पुत्री रामकुंवार सिंह मीणा निवासी दाता ढाणी तहसील देवली जिला टोंक
4. अमृता पुत्री रामकुंवार सिंह मीणा निवासी दाता ढाणी तहसील देवली जिला टोंक
5. शांति देवी पत्नी रामकुंवार सिंह मीणा निवासी दाता ढाणी तहसील देवली जिला टोंक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण सं. 658 दिनांक 28.06.2016 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं0. 01 सं. 05 उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण सं0 658 निर्णय दिनांक 28.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उंचा में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में आराजी सं. 587 रकबा 04.04 बीघा एवं आराजी सं. 589 रकबा 1.04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 05.08 बीघा खातेदार श्री रामकुंवार सिंह पुत्र प्रेमसिंह मीणा निवासी दाता ढाणी के नाम दर्ज थी तथा उक्त आराजियात को श्री रामकुंवार सिंह द्वारा खरीद किये जाने से उनकी स्वअर्जित आराजियात थी और कालान्तर मे श्री रामकुंवार सिंह ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थीगण के नाम वसीयतनामा दिनांक 16.10.2015 निष्पादित कर उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहां पंजीबद्व करवा दिया गया तथा रामकुंवार सिंह जी का देहावसान हो जाने के बाद में उक्त दोनों आराजियात का नामान्तरकरण रूटीन में प्रत्यर्थीगण सं. 01 से लगायत 05 के नाम खोला गया, जो विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य हैं। उक्त आराजी सं. 587 एवं 589 के बाबत् नामान्तरकरण खोलते समय कोई जांच

पड़ताल नही की गयी। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जहां किसी खातेदार की मृत्यु निर्वसीयत होने पर ही स्वीय विधि अनुसार उत्तराधिकार तय होता है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में स्व. रामकुंवार सिंह द्वारा वसीयतनामा अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करने के कारण स्वीय विधि के अनुसार नामान्तरकरण निस्तारित नहीं करना चाहिये था। स्व. रामकुंवार सिंह के देहावसान के बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मय वसीयतनामा मय आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये मनमकसूद तौर नामान्तरकरण खोलनें में भारी त्रुटि की है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 17.05.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हुयी। अपीलार्थीगण नाबालिग है। कानूनी ऐतराज को रफा करने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 28.06.2016 खारिज किया जाकर अपीलार्थीगण के नाम पर वसीयतनामा दिनांक 16.10.2015 अनुसार वादग्रस्त आराजी सं. 587 एवं 589 ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उंचा का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम पर खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.06.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं. 01 से लगायत 05 के सम्मन तामिल नही होने पर सम्मन रजिस्टर्ड डाक एवं न्यूज पेपर में प्रकाशन होने पर एक माह व्यतीत होने पर भी रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं हैं होने पर एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उंचा में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में आराजी सं. 587 रकबा 04.04 बीघा एवं आराजी सं. 589 रकबा 1.04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 05.08 बीघा खातेदार श्री रामकुंवार सिंह पुत्र प्रेमसिंह मीणा निवासी दाता ढाणी के नाम दर्ज थी तथा उक्त आराजियात को श्री रामकुंवार सिंह द्वारा खरीद किये जाने से उनकी स्वअर्जित आराजियात थी और कालान्तर मे श्री रामकुंवार सिंह ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थीगण के नाम वसीयतनामा दिनांक 16.10.2015 निष्पादित कर उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहां पंजीबद्ध करवा दिया गया तथा रामकुंवार सिंह जी का देहावसान हो जाने के बाद में उक्त दोनों आराजियात का नामान्तरकरण रूटीन में प्रत्यर्थीगण सं. 01 से लगायत 05 के नाम खोला गया, जो विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य हैं। स्व. रामकुंवार सिंह के देहावसान के बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मय वसीयतनामा मय आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये मनमकसूद तौर नामान्तरकरण खोलनें में भारी त्रुटि की है। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 28.06.2016 खारिज किया

जाकर अपीलार्थीगण के नाम पर वसीयतनामा दिनांक 16.10.2015 अनुसार वादग्रस्त आराजी सं. 587 एवं 589 ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उंचा का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम पर खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उंचा में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में आराजी सं. 587 रकबा 04.04 बीघा एवं आराजी सं. 589 रकबा 1.04 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 05.08 बीघा खातेदार श्री रामकुंवार सिंह पुत्र प्रेमसिंह मीणा निवासी दाता ढाणी के नाम दर्ज थी जिसे विरासतन मनराज सिंह, मंजूबाला, अंजूबाला, अमृता पिता रामकुंवार सिंह , शान्ति देवी पत्नी रामकुंवार सिंह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गयी जो उचित हैं। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि वसीयतनामा रामकुंवार सिंह पुत्र प्रेम सिंह मीणा निवासी दाता ढाणी तहसील देवली जिला टोंक ने ग्राम हनुमान नगर, पटवार हल्का उंचा में कृषि भूमि खसरा नंबर 587, 589 किता 02 रकबा 05.08 बीघा को सम्पूर्ण रूप से प्रतिक्षा (बाबू) पुत्री मनराज सिंह एवं तनिष्का (छोटा) पुत्री मनराज सिंह निवासी ग्राम हनुमान नगर के नाम बराबर बराबर वसीयतनामा दिनांक 16.10.2016 को निष्पादन कर उप पंजीयक द्वितीय जयपुर में दिनांक 13.08.2018 को पंजीबद्ध करायी गयी। वसीयतनामा पर उप पंजीयक द्वितीय के हस्ताक्षर अंकित हैं एवं दस्तावेज पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 59 में पृष्ठ संख्या 53 कम संख्या 201803016300549 पर पंजीबद्ध है। रामकुंवार सिंह पिता प्रेमसिंह मीणा निवासी दातां ढाणी की मृत्यु दिनांक 19.10.2015 को होने के पश्चात् पटवारी हल्का उंचा ने दिनांक 28.06.2016 को विरासत से नामान्तरकरण सं. 658 दायर किया जिसे तहसीलदार जहाजपुर ने दिनांक 28.06.2016 को स्वीकृत किया हैं। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। अपीलार्थी को वसीयतनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय से दाद हासिल करनी चाहिये। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)